न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

निगरानी क्र........./2016

1. कल्लू उर्फ कालूराम आ.मूलचंद मेवाड़ा आयु 45 वर्ष, .
2. जसमत आ.हरिसिंह आयु 48 वर्ष,
दोनो निवासी व कृषक ग्राम छतरी तहसील श्यामपुर,
जिला–सीहोर म.प्र. ....निगरानीकर्तागण

अभिभावक श्री...............
द्वारा आज दिनांक...............
को पेश।
अधीक्षक

विरूद्ध

कैलाश आ.नन्नूलाल जाति गेहलोत आयु 50 वर्ष
निवासी ग्राम छतरी तहसील श्यामपुर,
जिला–सीहोर म.प्र. ....प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30/05/2016जो प्रकरण क्र.10अ–12/2015–16 में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील श्यामपुरं पारित किया गया को अपास्त किये जाने बाबत्

श्रीमान जी,

निगरानीकर्तागण आलोच्य आदेश से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्न तथ्य एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करते हैं –

–:: तथ्य ::–

1. यह कि प्रतिनिगरानीकार्त द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में भूमि सर्वे नं.257/3 एवं 247/7, 257/3 कुल रकबा 2.900 हेक्टेयर लगान 23.16 पैसे का सीमांकन कराने हेतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील श्यामपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 26.05.2016 को मौके पर जाकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाना बताया है तथा सीमांकन दिनांक 26.05.2016 को हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन, पंचनामा, फील्डबुक नक्शा आदि बनाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर दिनांक 30.05.2016 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन के संबंध में अंतिम आदेश पारित किये है। जबकि मौके पर कोई सीमांकन वास्तविक रूप से हुआ ही नहीं तथा निगरानीकर्तागण की पीठपीछे चोरीछिपे निगरानीकर्तागण की जमीन हड़पने की दूषित नीयत से

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3313-II/16 जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह. निगरानी तहसीलदार, तहसील श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-05-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील श्यामपुर जिला सीहोर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, सीहोर को भेजा जाता है । कलेक्टर, सीहोर प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	